14036/60/2013-यूटी

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,
दिनांक: 11.11., 2013

आदेश

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के अंतर्गत श्री हरपाल सिंह राणा द्वारा दायर अपील।

महोदय,

जबकि, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के अंतर्गत श्री हरपाल सिंह राणा, निवासी ए-1, ग्राम एवं डाकघर-कादीपुर, दिल्ली-110036 द्वारा उनके दिनांक 04.04.2013 के आर टी आई आवेदन का उत्तर नहीं दिए जाने के बारे में दिनांक 29.08.2013 की प्रथम अपील (इस अनुभाग में दिनांक 25.09.2013 को प्राप्त) दायर की गई है।

2. जबकि, श्री हरपाल सिंह राणा का दिनांक 04.04.2013 का आर टी आई आवेदन मूल रूप से प्रधानमंत्री कार्यालय में दायर किया गया था जिसे वाहनों पर लाल/नीली बत्तियों के प्रयोग के संबंध में सूचना मुहैया करवाने के लिए गृह मंत्रालय तथा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को अंतरित किया गया था। आर टी आई आवेदन की विषय-वस्तु दिल्ली पुलिस से संबंधित थी, इसलिए, इसे सूचना उपलब्ध कराने के लिए हमारे दिनांक 12.07.2013 के पत्र सं. 14036/487/2013-यू टी पी के तहत पुलिस उपायुक्त, दिल्ली पुलिस तथा लोक सूचना अधिकारी, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली को अंतरित कर दिया गया था।

3. जबकि, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी (गृह मंत्रालय) के पास आवेदक को देने के लिए कोई सूचना नहीं थी और उन्होंने दिनांक 12.07.2013 के पत्र सं. 14036/487/2013-यू टी पी के तहत दिल्ली पुलिस के संबंधित अधिकारी को यह आर टी आई आवेदन विधिवत रूप से अंतरित कर दिया था, इसलिए केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई सही है।

4. आवेदक, यदि इच्छुक हो, तो इस विषय में आगे किसी सूचना के लिए दिल्ली पुलिस के संबंधित लोक सूचना अधिकारी से संपर्क कर सकता है। श्री हरपाल सिंह राणा द्वारा दायर अपील का तदनुसार निपटान किया जाता है।

11/11-13

(आई.एस. चहल)
संयुक्त सचिव (यू टी) एवं
अपील प्राधिकारी

सेवा में

श्री हरपाल सिंह राणा,
निवासी-ए-1, ग्राम व डाक-कादीपुर,
दिल्ली-110036

ed 2629
18/11/13

प्रतिलिपि : श्री बी.एस. बस्सी, पुलिस आयुक्त, पुलिस मुख्यालय, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली को आवश्यक कार्रवाई करने हेतु।

चित्रा 11.11.12

(चित्रा नारायण)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी एवं
अवर सचिव (डी पी-I)

Issued 2622 (ii)
18/11/13

O/C